स्पीड पोस्ट/अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

संख्याः एम0ई0–3/2016/ 2234 लखनऊःदिनांकः 22 अगस्त 2016

विषयः सी0पी0एम0टी0 के अन्तर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या–418/71–2–15–रिट–156/2011 दिनांक 03 मार्च 2015 पर इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या–एम0ई0–3/2015/557–61 दिनांक 13 मार्च 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सी0पी0एम0टी0 काउंसिलिंग में उपस्थित होने वाले छात्रों के सामान्य/मूल निवास प्रमाण पत्रों के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2016–17 में प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों में उत्तर प्रदेश राज्य की सीटों पर NEET 2016 के माध्यम से चयनित छात्रों को काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

शासनादेश संख्या–1090/71–2–16–127/2011 दिनांक 11 अगस्त 2016, जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्र संख्या–एम0ई0–3/2016/2225 दिनांक 20 अगस्त 2016 द्वारा आपको प्रेषित की गई है, के बिन्दु–5 द्वारा नीट काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्रों के मूल/सामान्य निवास प्रमाण पत्रों का प्रारूप तथा इसकी अर्हताएं गत वर्ष की भांति यथावत रखे जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि नीट 2016 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को संलग्न प्रारूप पर सामान्य/मूल निवास प्रमाण पत्र डिस्पैच संख्या तथा दिनांक सहित जारी किए जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वी0एन0त्रिपाठी)
महानिदेशक

संख्याः एम0ई0–3/2015/ तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0एन0त्रिपाठी)
महानिदेशक

प्रमाण–पत्रों का प्रारूप

Format of Certificates

(नीचे दिये गये प्रारूपों में सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर व स्पष्ट सील के साथ काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा)

प्रमाण पत्र नं. 1 (क)

(केवल उन्ही अभ्यर्थियों के लिए जिन्होने हाईस्कूल अथवा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

(NEET 2016 हेतु मान्य)

कार्यालय जिलाधिकारी ....(जनपद का नाम)

"सामान्य निवास प्रमाण पत्र"

प्रमाण पत्र संख्या.................................. दिनांक ....

तहसीलदार .... की जॉच आख्या दिनांक .... के आधार पर एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....निवासी मकान नं0......................ग्राम/मोहल्ला.............. थाना...... .... तहसील.. जिला .... उत्तर प्रदेश का/की निवासी हैं तथा इनका वर्तमान पता है।

उपर्युक्त की पुष्टि आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा तहसीलदार ....की आख्या से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0 के .... जनपद का सामान्य निवासी होने (ORDINARILY RESIDENT) विषयक प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है।

स्थान...........................

हस्ताक्षर...
पूरा नाम...
पदनाम तथा सील...
(उ0प्र0 में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

नोट– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में कोई एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को काउंसिलिंग के समय, काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष उपरोक्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

1– केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपकमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

अथवा

2– निजी व्यवसाय होने की दशा में तीन वर्ष पूर्व जमा किए गए Income Tax Return का विवरण अथवा अभ्यर्थी/पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व कय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी/पासपोर्ट/रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेन्ट।

अथवा

3– कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व कय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी।

अथवा

4–उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा। इस शपथ–पत्र में इस आशय की भी शपथ होनी चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये चयन से प्रवेश देने वाले मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं है।

अथवा

5–विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

अथवा

अपवाद : अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर नीट काउंसिलिंग 2016 हेतु अनुमन्य होगा

1– उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

2– उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

3– देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

4– अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)।

प्रमाण–पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री / श्रीमती / कुमारी.......................................श्री......................के पुत्र / पुत्री हैं, जो...................................(देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....
दिनांक ....

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर..
जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)................
सील

निर्धारित प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र मान्य होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

प्रमाण–पत्र प्रारूप नं. 1 (ख) (UPPR)
(उ.प्र. में मूल निवास का प्रमाण पत्र)

संख्या.............................. दिनांक ....

(केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाईस्कूल तथा अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो)

मैंने आवश्यक लिखित साक्ष्य की जांच कर ली है और/अथवा मुझे इस तथ्य का व्यक्तिगत ज्ञान है कि अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/ कुमारी .... पुत्र/पुत्री श्री .... उत्तर प्रदेश में मूल निवासी की परिभाषा जो नीचे निर्धारित टिप्पणी में दी गयी है परिभाषा सं...................................को पूर्ण करता है अथवा वह उक्त टिप्पणी में दिये गये अपवाद संख्या...................................... के अन्तर्गत आता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर...

हस्ताक्षर...

दिनांक ....

पूरा नाम ....

पदनाम तथा सील...

(उत्तर प्रदेश में सेवारत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट)

टिप्पणी :

1. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी की परिभाषा

(क) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में है और जो स्वयं भी उत्तर प्रदेश का निवासी है।

अथवा

(ख) भारत का नागरिक जिसके पिता का निवास स्थान अथवा मूल स्थान उत्तर प्रदेश में नहीं था किन्तु जिसने अथवा जिसके पिता ने उत्तर प्रदेश में निवास का अधिग्रहण कर लिया है, परन्तु इस प्रकार के अधिग्रहण के पश्चात् इस आवेदन–पत्र के देने की तिथि तक उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी तथा उसके पिता/माता के निवास की अवधि तीन वर्ष से कम नहीं हैं।

अथवा

(ग) उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैबी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) को पिता/माता का सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

अथवा

(घ) विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

नोट– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को काउंसिलिंग के समय, काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष उपरोक्त मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–

1– केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपकमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

अथवा

2– निजी व्यवसाय होने की दशा में तीन वर्ष पूर्व जमा किए गए Income Tax Return का विवरण अथवा अभ्यर्थी/पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व कय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी/पासपोर्ट/रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेन्ट।

अथवा

3– कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व कय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी।

अथवा

4–विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

अपवाद : अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न करने पर नीट काउंसिलिंग 2016 हेतु अनुमन्य होगा

1– उत्तर प्रदेश में पंजीकृत विस्थापित विद्यार्थी (सम्बद्ध जिले के जिलाधिकारी का इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

2– उत्तर प्रदेश में सेवारत भारत सरकार के कर्मचारियों के पोष्य (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

3– देश के किसी भी भाग में सेवारत भारत सरकार के सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के ऐसे पोष्य जिन्होंने अपनी अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है (सेवायोजक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

4– अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)।

(iv) अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय की संताने (उत्तर प्रदेश के सम्बद्ध जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है)।

प्रमाण–पत्र

मैंने आवश्यक साक्ष्यों की जांच कर ली है और मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. ....
श्री... के पुत्र/पुत्री हैं, जो.............................. .... (देश का नाम) से प्रत्यर्पित भारतीय राष्ट्रीय हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

जिलाधिकारी के हस्ताक्षर दिनांक ....
जिलाधिकारी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
सील

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।